इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 501] भोपाल, बुधवार, दिनांक 29 अक्टूबर 2014—कार्तिक 7, शक 1936

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2014

क्र. डी-15-20-2014-चौदह-3.—चूंकि राज्य शासन ने मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन जारी की गई इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-10-73-10964-चौदह-1 दिनांक 21-फरवरी 1969 द्वारा राज्य सरकार ने टीकमगढ़ जिले की निवाड़ी, पृथ्वीपुर तहसील में समाविष्ट क्षेत्र के नाम से निर्दिष्ट कृषि उपजों के क्रय-विक्रय को विनियमित किया था.

और चूंकि ''उक्त मण्डी क्षेत्र'' में से पृथ्वीपुर तहसील के विकासखण्ड पृथ्वीपुर में स्थित ग्रामों में समाविष्ट क्षेत्र (जो इसमें इसके पश्चात् उक्त क्षेत्र के नाम से निर्दिष्ट है) को विपाटित करके पृथक मंडी स्थापित करना प्रस्तावित है.

अतएव, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 70 के उपधारा (1) के खण्ड (तीन) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार, एतद्द्वारा ''उक्त मंडी क्षेत्र'' में ''उक्त क्षेत्र'' को विपाटित करके पृथ्वीपुर में पृथक मंडी स्थापित करने के अपने आशय को संज्ञापित करती है.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो लिखित में किसी भी व्यक्ति से इस अधिसूचना के ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में प्रकाशित होने के दिनांक से 6 सप्ताह की कालावधि के भीतर प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल को प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जावेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2014

क्र. डी-15-20-2014-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 29 अक्टूबर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

Bhopal, the 29th October 2014

No. D. 15-20-2014-XIV-3.—WHEREAS by this department Notification No. D-10-73-10964-14-1- dated 21-2-1969 issued under the provisions of Section 4 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam 1972 (No. 24 of 1973), the State Government regulated the of Niwadi/Prithavi, Tehsil of the Tikamgarh District, (here in after referred to as the "said market area.").

AND WHERE as it is now proposed to establish a seprate market by splitting the area comprising of villages Situated in Development Block Prithavipur of Prithavipur Tehsil of Tikamgarh District. (here in after referred to as the "said area").

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (iii) of sub-section (1) of section 70 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam 1972 (No. 24 of 1973), the State Government here by signifies it intention to establish a seprate market at Prithavipur by splitting the " said area" From the " said market area".

Any objection which may be received in writing by the Principal Secretary to Government of Madhya Pradesh, Farmer Welfare and Agriculture, Development Department, Bhopal from any person with respect to this Notification within Six weeks from the date of publication of this Notification in the " Madhya Pradesh Gazette" will be considered by the State Government.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. TRIPATHI, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.